न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– अनिल कुमार अग्रवाल, आई.ए.एस.,जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा नम्बर :– 33/2021

(जी सी एम एस नम्बर 2021/37)

उनवानी प्रकरण :–

जलसिंह पुत्र श्री चन्दनसिंह जाति कुशवाह उम्र करीब 80 साल निवासी ग्राम गोकुलदास की नगरी (अतिराज का पुरा) मजरा विरोधा तहसील व जिला धौलपुर ....अपीलान्ट

बनाम

1–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर

2–गोधनसिंह पुत्र गोकुलसिंह जाति कुशवाह निवासी ग्राम गोकुलदास की नगरी (अतिराज का पुरा) मजरा विरोधा तहसील व जिला धौलपुर " **फोत** "

2/1–मौजी | पुत्रगण गोधनसिंह
2/2–बाबू |
2/3–राधे | जातिगण कुशवाह निवासीगण अतिराज का पुरा (विरोंधा) मंनिया
2/4–ल्होरे | जिला धौलपुर

2/5–श्रीमती पुत्री गोधनसिंह पत्नी भगवानदास जाति कुशवाह निवासी पुरा करीमपुर सैपऊ जिला धौलपुर

2/6–उर्मिला पुत्री गोधनसिंह पत्नी दिलीप जाति कुशवाह निवासी ग्राम भवनपुरा जगनेर तहसील खेरागढ जिला आगरा उ0प्र0

2/7–गोले पुत्री गोधनसिंह पत्नी विजेन्द्र जाति कुशवाह निवासी ग्राम भवनपुरा जगनेर तहसील खेरागढ जिला आगरा उ0प्र0

3–रामकटोरी पत्नि स्व0 पीतमसिंह | जातिगण कुशवाह
4–रामभरोसीलाल | पिसरान |
5–प्रेमसिंह | स्व0 पीतमसिंह | निवासीगण ग्राम गोकुलदास की नगरी
6–गोपालसिंह | |
7–फूलवती | | (अतिराज का पुरा) मजरा विरोधा
8–रतनदेई | |
9–सुनीता | | तहसील व जिला धौलपुर

10–रामवेटी पत्नी रामचरन |
11–सुरेश पुत्र रामचरन | जातिगण कुशवाह
12–नरेश | |
13–महेश | पुत्रगण | निवासीगण ग्राम अतिराज का पुरा विरौंधा
14–गुड्डू | रामचरन |
15–नहने | | उप तहसील मंनिया तहसील व जिला धौलपुर

16–कमला पुत्री रामचरन पत्नी रिंकू जाति कुशवाह निवासी ढोंढिका पुरा मंनिया तहसील व जिला धौलपुर ....रेस्पोडेण्टस

अपील विरूद्व नामान्तरकरण सं0 660 दिनांक 26.06.2015
नायव तहसीलदार मंनिया तहसील धौलपुर

मुकदमा नम्बर :– 34/2021 **(जी सी एम एस नम्बर 2021/38)**

उनवानी प्रकरण :–

जलसिंह पुत्र श्री चन्दनसिंह जाति कुशवाह उम्र करीव 80 साल निवासी ग्राम गोकुलदास की नगरी (अतिराज का पुरा) मजरा विरोधा तहसील व जिला धौलपुर .....**अपीलान्ट**

बनाम

1–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर
2–रामकटोरी पत्नि स्व0 पीतमसिंह । जातिगण कुशवाह
3–रामभरोसीलाल । पिसरान ।
4–प्रेमसिंह । स्व0 पीतमसिंह । निवासीगण ग्राम गोकुलदास की नगरी
5–गोपालसिंह । । (अतिराज का पुरा) मजरा विरोंधा तह0 धौलपुर
6–फूलवती पुत्री पीतमसिंह पत्नी चरनसिंह जाति कुशवाह निवासी पुरा करीमपुर सैपऊ
7–रतनदेई पुत्री पीतमसिंह पत्नी गंगाधर जाति कुशवाह निवासी हैदलपुर सैपऊ धौलपुर
8–सुनीता पुत्री पीतमसिंह पत्नी श्रीपति जाति कुशवाह नि0ग्राम धीमरी का पुरा धौलपुर
.....**रेस्पोडेण्टस**

(अपील विरूद्व नामान्तरकरण सं0 709 दिनांक 30.03.2016)
नायव तहसीलदार मंनिया तहसील धौलपुर

उपस्थिति अभिभाषक :–

अपीलान्ट की ओर से :– श्री योगेन्द्रसिंह कुशवाह एडवोकेट
रेस्पो0सं0 1 की ओर से :– पैरोकार सरकार
रेस्पो0सं0 2/1 लगा02/5, 3लगा06, एवं 9लगा016 की ओर से :– श्री प्रमोद परमार एडवोकेट

निर्णय **दिनांक : 21.08.2023**

उपरोक्त दोनो अपीलों में समान पक्षकार एवं विवाद की विषयवस्तु समान होने से इनमें एक साथ बहस सुनी जाकर निर्णय भी एक साथ किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में लगाई जावे। अपील मु0न0 33/2021 अपीलान्ट द्वारा इन तथ्यों के आधार पर पेश की गई है कि आराजी खसरा नम्बर 551 रकवा 01 वीधा 03 विस्वा वाके ग्राम अधन्नपुर तहसील धौलपुर का खातेदार काश्तकार अपीलार्थी है और मौके पर काबिज

होकर काश्त कर रहा है। पटवारी हल्का एव नायव तहसीलदार मंनिया द्वारा अप्रार्थी संख्या–2 व पीतमसिंह से साज करके फर्जी कूटरचित वयनामा दिनांक 25.07.1977 के आधार पर नामान्तकरण संख्या–660 दिनांक 26.6.2015 को रैस्पो0संख्या 2 व रैस्पो0 सं03 के पति एवं 4लगा09 के पिता पीतमसिंह के नाम अवैधानिक रूप से खोल दिया है जिससे असंतुष्ट होकर यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की है कि आराजी खसरा नम्बर 551,544,546,547,552,559,561, 562 ग्राम अधन्नपुर तहसील धौलपुर का गैर खातेदार काश्तकार अपीलान्ट था क्योंकि उक्त आराजीयात अपीलान्ट को दिनांक 25.7.1960 व 17.08.1960 से आवंटित की गयी और आवंटन के समय से अपीलान्ट उक्त आराजीयात पर काविज होकर काश्त करता रहा। अपीलान्ट ने उक्त आराजीयात को राजस्व रिकार्ड में दर्ज गैर खातेदारी से खातेदारी कराये जाने हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर में दावा पेश किया तथा अपील भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्रधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर में पेश की। अपील संख्या 103/2002 उनवानी जलसिंह बनाम राजस्थान सरकार जिसमें न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्रधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 26.06.2004 से अपीलान्ट को गैरखातेदार से खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये गये। न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पालना करते हुये उपखण्ड अधिकारी धौलपुर ने अपने पत्र कमांक कोर्ट/05/710 दिनांक 19.04.2005 से तहसीलदार धौलपुर को डिक्री की पालना कर अपीलान्ट के नाम खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये गये जिस पर अपीलान्ट के नाम राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदारी से खातेदारी के इन्द्रांज दर्ज किये गये जो वर्तमान में आज भी दर्ज है। अपीलान्ट के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज हो जाने के काफी समय व्यतीत हो जाने के वाद तहसीलदार धौलपुर ने निर्णय व डिक्री दिनांक 26.06.2004 के विरूद्व अपील राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में उनवानी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बनाम जलसिंह प्रस्तुत की है जो वर्तमान में विचाराधीन है। उक्त आराजीयात के बावत तहसीलदार धौलपुर के द्वारा अपील राजस्व मण्डल अजमेर राजस्थान में प्रस्तुत करने के वाद राजस्व रिकार्ड में किसी भी प्रकार का इन्द्रांज बदलने के अधिकार नायव तहसीलदार मंनिया को नहीं है इसके वावजूद भी नायव तहसीलदार मंनिया ने आराजी खसरा नम्बर 551 रकवा 01 वीधा 03 विस्वा का नामान्तकरण संख्या 660 दिनांक 26.06.2015 फर्जी एवं कूटरचना के आधार पर बैक डेट में फर्जी व कूटरचित 39 साल पुराने गैरखातेदारी की आराजी के फर्जी एवं कूटरचित वयनामा के आधार पर गोधनसिंह व पीतमसिंह पिसरान गोकुलसिंह से साज कर नायव तहसीलदार मंनिया को खोल दिया जो निरस्त किये जाने योग्य है। गैरखातेदारी भूमि का वयनामा पंजीयन नहीं किया जा सकता है इसलिये वयनामा दिनांक 25.07.1977 पूर्णतः जाली व फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज है। विवादित आराजीयात पर रैस्पो0सं02 व पीतम सिंह एवं रैस्पो0 सं0 3लगा09 का कभी कोई कब्जा नहीं रहा और न ही आज भी कब्जा है बिना कब्जे के नामान्तकरण अवैधानिक है। 39 साल पुराने वयनामा के आधार पर एवं बिना रैस्पोडेन्टस के कब्जे के रैस्पोडेन्टस के नाम नामान्तरण खोले जाने से पूर्व अपीलान्ट को तलव किया जाना आवश्यक था अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा न कर कानूनी भूल की है। अपीलान्ट ने अपनी उपरोक्त आराजीयात की जमाबंदी की नकल कमांक 353 दिनांक 01.07.2015 को पटवारी हल्का दुल्हारा से प्राप्त

की जिसमें दिनांक 26.06.2015 के नामान्तकरण संख्या 660 गोधनसिंह व पीतमसिंह के नाम का कोई अंकन नहीं था इससे पूर्णतः सावित है कि आराजी खसरा नम्बर 551 का नामान्तकरण संख्या 660 दिनांक 26.06.2015 पटवारी हल्का एवं कानूनगो तथा तहसीलदार धौलपुर ने गोधनसिंह व पीतमसिंह से साज करके फर्जी व बैक डेट में खोला गया है। दिनांक 25.07.1977 को अपीलान्ट उक्त आराजीयात का गैरखातेदार था जिसको किसी भी प्रकार से विक्रय करने के अधिकार अपीलान्ट को नहीं थे। अपीलान्ट को गैरखातेदारी से खातेदारी अधिकार वर्ष 2005 में प्राप्त हुये है इसलिये अपीलान्ट ने उक्त वयनामा दिनांक 25.07.1977 निष्पादित ही नहीं किया है और उक्त वयनामा पूर्णतः फर्जी एवं कूटरचित जाली है। पीतमसिंह का देहान्त हो गया है जिन्होने अपनी मृत्यु के वाद अपने वारिसान के रूप में रैस्पो0सं03लगा09 को छोडा है इसलिये अपील में रैस्पो0सं03लगा09 को पक्षकार बनाया गया है। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 660 दिनांक 26.06.2015 की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 29.12.2017 को पटवारी के द्वारा बताये जाने पर हुयी है उसके वाद नकल प्राप्ती करने के वाद अपील अन्दर अवधि पेश है फिर भी अपील प्रस्तुत किये जाने में हुयी देरी को माफ किये जाने हेतु अपीलान्ट ने पृथक से धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः अपील, अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 660 दिनांक 26.06.2015 अपास्त किये जाने की प्रार्थना की है।

अपील मु0न0 34/2021 अपीलान्ट द्वारा इन तथ्यों के आधार पर पेश की गई है कि आराजी खसरा नम्बर 551 रकवा 01 वीधा 03 विस्वा वाके ग्राम अधन्नपुर तहसील धौलपुर का खातेदार काश्तकार अपीलान्ट है और मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। पटवारी हल्का एव नायव तहसीलदार मंनिया द्वारा रैस्पो0संख्या 2लगा08 व गोधनसिंह से साज करके फर्जी एवं कूटरचित वयनामा दिनांक 25.7.1977 के आधार पर नामान्तकरण संख्या 660 दिनांक 26.6.2015 को पीतमसिंह व गोधनसिंह के नाम अवैधानिक रूप से खोल दिया है इसके बाद पीतमसिंह का देहान्त हो गया पीतमसिंह के देहान्त के बाद विरासत का नामान्तकरण संख्या 709 दिनांक 30.3.2016 को रैस्पो0 संख्या 2 लगा08 के नाम विवादित आराजीयात में पीतमसिंह के स्थान पर अवैधानिक रूप से खोल दिया है जिससे असंतुष्ट होकर अपीलार्थी ने यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की है कि नायव तहसीलदार मंनिया ने उक्त नामान्तकरण संख्या 709 दिनांक 30.3.2016 पूर्ण रूप से अवैधानिक तरीके से खोला है जो प्रकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है इसलिये निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि आराजी खसरा नम्बर 551,544,546,547,552,559,561, 562 बांके ग्राम अधन्नपुर तहसील धौलपुर का गैरखातेदार काश्तकार अपीलार्थी था क्योकि उक्त आराजीयात अपीलार्थी को दिनांक 25.7.1960 व 17.8.1960 से आवंटित की गई और आवंटन के समय से ही अपीलार्थी उक्त आराजीयात पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। अपीलार्थी ने उक्त आराजीयात को राजस्व रिकार्ड में दर्ज गैर खातेदारी से खातेदारी कराये जाने हेतु न्यायालय एस0डी0ओ0 धौलपुर में दावा पेश किया तथा अपील भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर में पेश की अपील संख्या 103/2002 व उनवानी जलसिंह बनाम सरकार जिसमें न्यायालय आर ए ए भरतपुर कैम्प धौलपुर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 26.6.2004 से अपीलार्थी को गैरखातेदार से

खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये गये। न्यायालय की निर्णय व डिक्री की पालना करते हुये एस0डी0ओ0 धौलपुर ने अपने पत्र क्रमांक कोर्ट/05/710 दिनांक 19.4.2005 से तहसीलदार धौलपुर को डिक्री की पालना कर अपीलार्थी के नाम खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये गये जिस पर अपीलार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदारी से खातेदारी के इन्दांज किये गये जो वर्तमान में आज भी दर्ज है। अपीलार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज हो जाने के काफी समय व्यतीत हो जाने के बाद तहसीलदार धौलपुर ने निर्णय व डिक्री दिनांक 26.6.2004 के विरूद्व अपील राजस्व मण्डल अजमेर में वउनवानी सरकार बनाम जलसिह प्रस्तुत की है जो वर्तमान में विचाराधीन है जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 13.7.2017 नियत है। उक्त आराजीयात के बावत तहसीलदार धौलपुर के द्वारा अपील राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत करने के बाद राजस्व रिकार्ड में किसी भी प्रकार का इन्द्रांज बदलने का अधिकार नायव तहसीलदार मंनिया को तथा पटवारी हल्का को नहीं है इसके बावजूद भी नायव तहसीलदार मंनिया ने आराजी खसरा नम्बर 551 रकवा 1 वीधा 3 विस्वा का नामान्तकरण संख्या 660 दिनांक 26.6.2015 फर्जी व कूटरचना के आधार पर बैक डेट में 39 साल पुराने गैर खातेदारी की आराजी के फर्जी एवं कूटरचित वयनामा के आधार पर गोधनसिंह व पीतमसिंह पिसरान गोकुलसिंह से साज कर नायव तहसीलदार मंनिया ने खोल दिया है तथा पीतमसिंह की मृत्यु के वाद उनके वारिसान के नाम अवैधानिक रूप से विरासत का नामान्तकरण संख्या 709 दिनांक 30.3.2016 को खोल दिया है जो अवैधानिक है जो निरस्त किये जाने योग्य है। गैर खातेदारी भूमि का वयनामा पंजीयन नही किया जा सकता है इसलिये वयनामा दिनांक 25.7.1977 पूर्णतः जाली व फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज है। उक्त स्थिति में नामान्तकरण संख्या 660 दिनांक 26.6.2015 पूर्ण रूप से अवैधानिक है इसलिये विरासत का नामान्तकरण संख्या 709 दिनांक 30.3.2016 को खोलने का अधिकार नायव तहसीलदार धौलपुर को नहीं है। विवादित आराजीयात रैस्पो0 संख्या 2लगा08 का कभी कोई कब्जा नहीं रहा और नहीं उनके पूर्वजो का कोई कब्जा ही रहा है और ना आज भी कब्जा है बिना कब्जे के नामान्तकरण अवैधानिक है जो निरस्त किये जाने योग्य है। रैस्पोडेन्ट के नाम नामान्तकरण खोले जाने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। अपीलान्ट ने नामान्तकरण संख्या 709 दिनांक 30.3.2016 की नकल दिनांक 9.3.2017 को प्राप्त की तब उक्त विरासत के नामान्तकरण की जानकारी हुयी जानकारी से अवधि अन्दर अपील पेश है। अपील प्रस्तुत किये जाने में अपीलार्थी ने जानबूझकर कोई लापरवाही व गफलतवाजी नहीं की है अपील प्रस्तुत किये जाने में हुयी देरी माफ किये जाने योग्य है तथा देरी को माफ किये जान हेतु प्रथक से धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है अतः अपीलान्ट ने अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 709 दिनांक 30.3.2016 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

उक्त दोनों अपीलें, अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को तलब किया गया। रेस्पा0सं0–1 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुये। रेस्पो0सं0–2/1लगा02/5, 3लगा06, एवं 9लगा016 की ओर से की ओर से श्री प्रमोद परमार एडवोकेट ने बकालतनामा पेश किया। रैस्पो0सं0 2/6, 2/7 एवं रैस्पो0संख्या 7 व 8 बावजूद तामील सूचना के उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर दोनो पक्षों के विद्वान अभिभाषक को सुना गया। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि अपीलान्ट वृद्व कमजोर अनपढ व्यक्ति है जो कानूनी प्रकिया से पूर्णत अनविज्ञ है। अपीलाधीन नामान्तकरण की जानकारी किसी भी प्रकार से नहीं रही है। अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश का ज्ञान सर्वप्रथम अपीलान्ट को दिनांक 29.12.2016 को पटवारी हल्का से हुआ। जानकारी से अपील अन्दर मियाद पेश की गई है। अपील प्रस्तुत किये जाने में जानबूझ कर कोई लापरवाही नहीं की है। अपीलान्ट का प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डौन किया जाकर अपील अपीलान्ट ज्ञान से अंदर अवधि शुमार की जावे। रैस्पोडेन्ट के अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र का कोई जबाव पेश नहीं किया है उन्होने अपनी बहस में तर्क दिया है कि अपीलान्ट ने अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी का प्रत्येक दिन का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। अपीलान्ट की अपील मियाद वाहर है। दोनो पक्षों के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनने के बाद हम अपील, अपीलान्ट गुणवगुण के आधार पर अपील का निर्णय किया जाना हम उचित समझते है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डौन किया जाता है। अतः अपील अपीलान्ट ज्ञान से अन्दर मियाद मानी जाती है।

बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील में अंकित कथनो को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी का गैर खातेदार काश्तकार अपीलान्ट था। विवादित आराजीयात अपीलान्ट को दिनांक 25.7.1960 व 17.08.1960 से आवंटित की गयी। अपीलान्ट के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज हो जाने के काफी समय व्यतीत हो जाने के वाद तहसीलदार धौलपुर ने निर्णय व डिकी दिनांक 26.06.2004 के विरूद्व अपील राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में उनवानी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बनाम जलसिंह प्रस्तुत की है जो वर्तमान में विचाराधीन है। विवादित आराजीयात के बावत तहसीलदार धौलपुर के द्वारा अपील राजस्व मण्डल अजमेर राजस्थान में प्रस्तुत करने के वाद राजस्व रिकार्ड में किसी भी प्रकार का इन्द्रांज बदलने के अधिकार नायव तहसीलदार मंनिया को नहीं है इसके वावजूद भी नायव तहसीलदार मंनिया ने आराजी खसरा नम्बर 551 रकवा 01 वीधा 03 विस्वा का नामान्तकरण संख्या 660 दिनांक 26.06.2015 फर्जी एवं कूटरचना के आधार पर बैक डेट में फर्जी व कूटरचित 39 साल पुराने गैरखातेदारी की आराजी के फर्जी एवं कूटरचित वयनामा के आधार पर गोधनसिंह व पीतमसिंह पिसरान गोकुलसिंह से साज कर नायव तहसीलदार मंनिया ने खोल दिया जिसे निरस्त किया जावे। गैरखातेदारी भूमि का वयनामा पंजीयन नहीं किया जा सकता है इस लिए बयनामा दिनांक 25.07.1977 पूर्णतः जाली व फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज है। 39 साल पुराने फर्जी एवं कूटरचित वयनामा के आधार पर अवैधानिक रूप से नामान्तकरण खोला गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त नामान्तकरण खोले जाने से पूर्व अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया गया। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 660 दिनांक 26.06.2015 के कॉलम संख्या 14 में तहसीलदार मनियां ने अंकित किया है, कि किसी भी न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन नहीं है जबकि विवादित आराजीयात बावत राजस्व मण्डल अजमेर में अपील संख्या 2415/2007 उनवानी तहसील धौलपुर बनाम जलसिंह बर्ष 2007 से वर्तमान में विचाराधीन है। पीतमसिंह का देहांत हो जाने पर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 709

दिनांक 30.03.2016 बिरासत का अवैधानिक खोला गया है जिसके विरूद्ध अपील जलसिंह बनाम सरकार संख्या 34/2021 (11/2017) पेश की गई है जो अपील संख्या 33/2021 (3/2017) के साथ कंसोलीडेट है जिसको भी निरस्त किया जावे। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने कथनो के समर्थन में RRT 2017[2] Page 991, RRT 2018-19 Page 145, RRT 2011-12 Page 275 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन दोनों नामान्तकरण निरस्त फरमाये जावे।

रेस्पोडेन्टस के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट अपनी अपील में यह कथन करके आया है कि फर्जी विक्रय पत्र के आधार पर पीतमसिंह व गोधनसिंह के नाम नामान्तकरण खोला गया था जबकि पीतमसिंह व गोधनसिंह के हक में हुआ विक्रय पत्र दिनांकित 25.07.1977 एक वैध विक्रय पत्र रहा क्योंकि उस वक्त भी जलसिंह को अलोटमेन्ट रूल्स के तहत 10 साल कास्त करने पर खातेदार कास्तगार माना जाता है तथा वह खातेदार कास्तगार की हैसियत से काबिज था। इसी विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण संख्या 660 दर्ज हुआ था जो जलसिंह द्वारा ही विक्रय किया गया था तथा कब्जा केता पीतमसिंह व गोधनसिंह को दिया था जो काबिज कास्त है। अपील के अन्दर किसी भी दस्तावेज के फर्जी व जाली होने के बावत कोई भी बात नहीं कही जा सकती। फर्जी या जाली विक्रय पत्र अपीलान्ट कथित करता है तो इसके बावत नियमित वाद घोषणा व निषेधाज्ञा का सक्षम अदालत से दायर करके अपने अधिकारों व स्वत्वों को तय कराता तथा विक्रय पत्र को सक्षम अदालत में निरस्त कराने की कार्यवाही करता। रेवेन्यू अदालत को म्यूटेशन की कार्यवाही में विक्रय को फर्जी मानने व निरस्त करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है। अपीलान्ट द्वारा कोई भी कार्यवाही विक्रय पत्र के फर्जी होने बावत कोई भी एफ.आई.आर. दर्ज नहीं कराई क्योंकि विक्रय पत्र पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर हैं जो उसने उचित प्रतिफल लेकर विक्रय पर पंजीबद्व कराया तथा उसी विक्रय पत्र के आधार पर विधिवत नायब तहसीलदार मनियां द्वारा नामान्तकरण संखा 660 तारीखी 26.06.2015 वहक पीतमसिंह व गोधनसिंह के नाम से खोला गया जो खसरा नम्बर 551 रकवा 01 बीघा 03 विस्वा बाके ग्राम अधन्नपुर पटवार हल्का दुल्हारा पर खोला गया जो खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त नामान्तकरण संख्या 709 पीतमसिंह रिकॉर्डेड खातेदार कास्तगार की मृत्यु के बाद विधिवत पीतमसिंह के वारिसान के नाम दर्ज किया गया है। उक्त नामान्तकरण के बावत जलसिंह को कोई हक व अधिकार अपील पेश करने के नहीं है क्योंकि वह खातेदार कास्तगार नहीं रहा तो उसे अपील करने का अधिकार नहीं है। अपीलान्ट ने न्यायालय में श्रीमान में अपील पेश करने हेतु धारा 96 सिविल प्रकिया संहिता के अधीन अपील पेश करने के लिए अनुमति नहीं चाही है इसलिए भी अपील अपीलान्ट चलने योग्य नहीं है खारिज की जावे। अभिभाषक रैस्पो0 ने अपने तर्को के समर्थन में RRT 2006-07 Page 261 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपीलान्ट की दोनों अपीलें खारिज फरमाई जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अधोपान्त अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन से यह जहिर होता है कि अपीलान्ट विवादित आराजी का गैर खातेदार काश्तकार था।

अपीलान्ट के कथनानुसार विवादित आराजीयात अपीलान्ट को दिनांक 25.7.1960 व 17.08.1960 से आवंटित की गयी। तहसीलदार धौलपुर ने भू-प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 26.08.2004 की पालना में अपीलान्ट के नाम खातेदारी दर्ज करने के काफी समय बाद वर्ष 2007 में उपरोक्त निर्णय के विरूद्ध अपील संख्या 2415/2007 माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में उनवानी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बनाम जलसिंह प्रस्तुत की है जो वर्तमान में विचाराधीन है। विवादित आराजीयात के बाबत तहसीलदार धौलपुर द्वारा अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर राजस्थान में प्रस्तुत करने के बाद राजस्व रिकार्ड में किसी भी प्रकार का इन्द्रांज बदलने के अधिकार नायब तहसीलदार मंनिया को नहीं था। इसके बावजूद भी नायब तहसीलदार मंनिया ने आराजी खसरा नम्बर 551 रकवा 01 बीघा 03 बिस्वा का नामान्तकरण संख्या 660 दिनांक 26.06.2015 करीब 39 साल पुराने गैरखातेदारी की आराजी के बयनामा के आधार पर गोधनसिंह व पीतमसिंह पिसरान गोकुलसिंह के नाम नायब तहसीलदार मंनिया ने दर्ज कर दिया जो अवैधानिक है। प्रकरण में यह तथ्य भी उजागर होता है कि दिनांक 25.07.1977 को विवादित आराजी गैर खातेदारी में दर्ज थी जिसको किसी भी प्रकार से विकय करने का अधिकार नहीं थे क्योंकि अपीलान्ट को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार वर्ष 2005 में प्राप्त हुये। गैरखातेदारी भूमि का बयनामा नियमानुसार पंजीयन नहीं किया जा सकता इसलिये प्रथम दृष्टया ही बयनामा नल एण्ड वॉयड है। इसी कम में दिनांक 25.07.1977 गैरखातेदारी के बयनामा के आधार पर खोला गया अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 660 अवैधानिक है जो निरस्त किये जाने योग्य है तथा पश्चातवर्ती नामान्तकरण संख्या 709 दिनांक 30.03.2016 विरासत जो पीतमसिंह का देहांत हो जाने पर खोला गया है वह भी स्वतः ही प्रभावहीन हो जाता है। पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबंदी सम्बत 2070 से 2073 ग्राम अधन्नपुर पटवार मण्डल दुल्हारा से यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि अपीलान्ट ने उक्त जमाबंदी की नकल कमांक 353 दिनांक 01.07.2015 को पटवारी हल्का दुल्हारा से प्राप्त की जिसमें दिनांक 26.06.2015 के नामान्तकरण संख्या 660 गोधनसिंह व पीतमसिंह के नाम का कोई अंकन नही है इससे यह साबित होता है कि पटवारी हल्का एवं कानूनगो एवं तहसीलदार द्वारा प्रथम दृष्टया बैक डेट में खोला जाना प्रतीत होता है तथा संदेहास्पद है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की उक्त दोनों अपील पृथम दृष्टया स्वीकार योग्य पाई जाती है।

अतः आदेश है कि अपीलान्ट की उक्त दोनों अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 660 दिनांक 26.06.2015 ग्राम अधन्नपुर पटवार मण्डल दुल्हारा एवं अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 709 दिनांक 30.03.2016 ग्राम अधन्नपुर पटवार मण्डल दुल्हारा तहसील मंनिया निरस्त किये जाते है। प्रकरण में तत्समय अवैध रूप से गैर खातेदारी भूमि का बेचान होने व अपील माननीय राजस्व मण्डल में विचाराधीन रहते हुये भी विवादित भूमि का नामान्तकरण गैर कानूनी तरीके से खोलने हेतु दोषी कार्मिकों के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित करने हेतु उपखण्ड अधिकारी धौलपुर को एक माह में जॉच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाता है। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी धौलपुर व प्रभारी अधिकारी स्थापना अनुभाग कलक्ट्रेट धौलपुर एवं तहसीलदार मंनिया को वास्ते पालना हेतु भिजवाई जावे। उक्त निर्णय की प्रति दोनो प्रकरणों में सामिल की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार अग्रवाल)
जिला कलक्टर

न्यायालय जिला कलक्टर